राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं

क्रमांकः राज/भूमि रूपान्तरण/17/317-320 दिनांक 15.11.2017

संपरिवर्तन आदेश

सरस्वती बाल निकेतन विद्या मंदिर संस्थान सैदपुर जरिये सचिव प्रकाशचन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ने वाके ग्राम मैनाना ग्राम पंचायत श्यामपुरा मैनाना तहसील बुहाना ने स्वयं के खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि ख0नं0 547/200/1/1 रकबा 0.84 हैं0 में से 4800 व0मी0 का **संस्थागत (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)** प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया गया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम–2007 के अधीन एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (5) रेवन्यू–6/92 पीटी/8 दिनांक 26.04.11 व राजस्व (ग्रुप–9) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–2 (135) राज/भू.रू./2012 दिनांक 24.08.2012 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (26) राज–6/ 2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6 (26) राज–6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के विहित प्राधिकृत अधिकारी को संपरिवर्तन के अधिकार में संशोधन किया गया है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। संपरिवर्तन बाबत वर्तमान में प्रचलित एवं भविष्य में प्रभावी होने वाली विधियों एवं उपविधियों के पालन किए जाने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अतः **संस्थागत (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)** प्रयोजन के लिये प्रश्नगत भूमि वाके ग्राम मैनाना के खसरा नं. 547/200/1/1 रकबा 0.84 है. में से 4800 व0मी0भूमि का संपरिवर्तन मय नियमितिकरण किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम	सरस्वती बाल निकेतन विद्या मंदिर संस्थान सैदपुर जरिये सचिव प्रकाशचन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
2.	क्या आवेदक अनु0जाति या अनु0 जन जाति का सदस्य है?	नही
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौराः– (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल (है0 में) (ग) प्रत्येक ख0 न0 का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में)	(क) ग्राम – ग्राम मैनाना ग्राम पंचायत श्यामपुरा–मैनाना तहसील बुहाना (ख) ख0नं0 547/200/1/1 रकबा 0.84 हैं0 (ग) ख0नं0 547/200/1/1 रकबा 0.84 हैं0 में से 4800 व0मी0 संपरिवर्तन
टिप्पणीः– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलंग्न है।		
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	**संस्थागत (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)**
5.	चालान सं0 तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम कर रकम	चा0– 13 दिनांक 25.01.2017 राशि 10000 रू0 जमा दिनांक 25.01.2017 व चा0– 58 दिनांक 31.10.2017 राशि 26630 रू0
6.	चालान सं0 तारीख सहित शास्ति यदि	नही।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज0)

	कोई हो, की जमा कराई गई रकम	
7.	चालान सं0,तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नही
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम–13 के अधीन जारी किया गया है।	हॉ
9.	अन्य कोई विशिष्टियां, यदि कोई हो	नही
10.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा:– (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है जो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियमक धन समपहृत हो जायेगा। (3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी में किसी तरह का निर्माण, अवरोध नहीं किया जाएगा। (6) ग्राम पंचायत की भवन निर्माण, कर आदि के बारे में विधियों एवं उपविधियां जो वर्तमान में लागु हो या भविष्य में प्रभावी होगी की पालना करनी होगी। (7) आवेदक द्वारा प्रचलित रास्ते को उपयोग किया जा रहा है जिसके बाबत इस आदेश से इसमें कोई विधिक अधिकार अर्जित नहीं होगे। विवाद की स्थिती में आवेदक की स्वयं की जिम्मेवारी होगी। (8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों/प्रचलीत या भविष्य में प्रभावी होने वाली विधियों या उपविधियों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (9). वाटर हारवेस्टींग के सम्बंध में राज्य सरकार के निर्देश, नियम व अनुदेशो की पालना करनी होगी व वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण किए जाने पर लगाना होगा।	

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला–झुंझुनूं

कमाक–सम– 317 - 320

दिनांकः 15.11.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं ।
2. तहसीलदार बुहाना को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद करने एवं अवैध निर्माण पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु।
3. ग्राम पंचायत श्यामपुरा मैनाना।
4. सरस्वती बाल निकेतन विद्या मंदिर संस्थान सैदपुर जरिये सचिव प्रकाशचन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला–झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज0)